वस्त्र आयुक्त के दिनांक 7 मई,2004 के पत्र सं.1/5/2003-पीडीसी/III/ को संलग्नक के रूप में "विकेन्द्रीत विद्युत करघा बुनाई उद्योग के लिए समूह वर्कशेड योजना पर दिनांक 07/5/2004 के संशोधित मार्गदर्शक बिंदु" ।

1.1 पृष्ठभूमि :-

भारतीय वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग में विकेन्द्रीत विद्युत करघा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है । मार्केट में बने रहने तथा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु व्यापार के वैश्विकरण तथा उसकी प्रतिस्पर्धा के कारण चुनौतियों का सामना करने के लिए उद्योग को स्वयं को सक्षम बनाना होगा । आधुनिक करघों की स्थापना द्वारा आधुनिकीकरण करना समय की मांग है । तथापि आधुनिक स्वचालित/शटललेस करघों को समायोजित करने के लिए विद्युत करघा बुनकरों के वर्तमान परिसर अपर्याप्त है तथा ऐसी कम जगह होना आधुनिकीकरण की धीमी गति का एक कारण है । अत: भारत सरकार ने विद्युत करघा बुनकरों के लिए दसवीं पंच वार्षिक योजना के दौरान समूह वर्कशेड योजना को अनुमोदित किया । जिसका उद्देश्य अधिक जगह, बेंच मार्क तकनीक के बड़े एवं सुधारित करघों की संस्थापना को सुसाध्य बनाने, बेहतर कामकाज का वातावरण एवं सुधारित कार्य क्षमता के संबंध में विकेन्द्रीत विद्युत करघा क्षेत्र में काम की सुधारित स्थिति उपलब्ध कराना है ।

2.0 उद्देश्य :-

योजना का उद्देश्य आधुनिक बुनाई मशीनों के पावरलूम क्लस्टर्स स्थापित करना है, ताकि वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सके ।

3.0 वित्तीय सहायता एवं उसका तरीका

3.1 इस योजना के अंतर्गत वर्कशेड बनाने के लिये सहायता विनिर्माण लागत के 25% तक सीमित होगी बशर्ते कि वह रू.80/- प्रति स्क्वे.फी. हो । वर्कशेड में कम से कम कितने करघे संस्थापित किये जा सकेंगे यह तय करने के लिये निम्नलिखित मापदंड सहायक होंगे :-

- अर्ध स्वचालित करघा : 150 स्क्वे.फी.
- स्वचालित करघा : 200 स्क्वे.फी.
- बिना शटल का करघा : 400 स्क्वे.फी.
- बिना शटल का चौड़ा करघा : 600 स्क्वे.फी.

3.2 प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुज्ञेय सबसिडी रू.11.52 लाख तक सीमित होगी जिसमें पावरलूम शेड एवं प्रिपरेटरी इकाइयों दोनों के लिये रू.80/- के दर पर 14400 स्क्वे.फीट का क्षेत्र समाविष्ट होगा ।

3.3 परियोजना के लिये आवश्यक शेष निधि लाभार्थियों द्वारा समर्थकों के अंशदान (10%) के माध्यम से जमा किया जाएगा । शेष राशि बैंकों, एसएफसी अथवा हुडको जैसे वित्तीय संस्थानों से जमा की जाएगी अथवा लाभर्थी द्वारा उसके अपने

स्त्रोतों से पूरी की जाएगी । देरी अथवा मुद्रा-स्फीति दर में हुई किसी भी वृद्धि को लाभार्थी को वहन करना होगा ।

3.4 पात्रता

नीचे योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चुनाव के लिये सामान्य मार्गदर्शन पर निर्देश दिये जा रहे हैं इ

(4) "बुनकर" में पात्र लिाभार्थियों के रूप में विद्युत करघा इकाइयों के साथ सम्बद्ध बुनकर तथा उद्योजक एवं कुशल बुनकर समाविष्ट हैं ।

(5) इस योजना के अंतर्गत लगाए जाने वाले करघों में सादे विद्युत करघों से अधिक प्रौद्योगिकी पात्रता होना आवश्यक है ।

(6) "विद्युत करघा" इकाई में बुनाई प्रिपरेटरी जैसे वाइन्डिंग वार्पिंग, साइजिंग आदि समाविष्ट है ।

5.00 कार्यकारी रूप/मार्गदर्शक तत्व :-

5.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना शुरू करने के लिये एक कार्यकारी अभिकरण (इसमें इसके बाद का अ उल्लेख किया जाएगा) होगा, जिसमें राज्य सरकार अथवा इसका अभिकरण, पंजीकृत सहकारी संस्था या विद्युत करघा धारकों के समूह अथवा कंपनीज अैक्ट, 1956 के अंतर्गत स्थानीय विद्युत करघा संघ द्वारा स्थापित कंपनी समाविष्ट होगा ।

5.2 का अ की जिम्मेदारियों में प्रयोक्ता/सदस्य लाभार्थियों की पहचान भूमि निश्चित करना, परियोजना की प्राथमिक तैयारी तथा सरकार को अनुमोदन हेतु जमा कराना, वित्तीय सहायता के लिये आवश्यक स्त्रोत उपलब्ध करना, परियोजना का संपादन तथा प्रबंधन शामिल होगा ।

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये का अ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नानुसार मुख्य मुद्दे होंगे-

- परियोजना का कार्यकारी सारांश
- का अ का स्वरूप : क्या सरकारी अभिकरण है या सहकारी संस्था अथवा कंपनी
- लाभार्थियों का विवरण जिसमें उनके द्वारा प्रस्तावित वर्कशेड अथवा करघों का भी विवरण होगा । (जानकारी के लिए परिशिष्ट-1देखें)
- परियोजना की घटक-वार लागत (जानकारी के लिये परिशिष्ट-2 देखें)
- काअ, केन्द्र सरकार तथा अन्य का हिस्सा तथा ऋण दर्शाते हुए परियोजना की वित्तीय सहायता की पद्धति (जानकारी के लियम परिशिष्ट-2 देखें)
- प्रयोक्ता प्रभारों की उगाही एवं ऋणों की चुकौती सहित परियोजना की मेन्टेनन्स रिपोर्ट (जानकारी के लिये परिशिष्ट-3 देखें)
- विनिर्माण का माह-वार कार्यक्रम ।

- परियोजना क्षेत्र का नक्शा, जिसमें शेड्स के स्थान, आधारभूत सुविधाएं जैसे रास्ता/पानी की आपूर्ति/बिजली/ड्रेनेज तथा अन्य सामान्य सुविधाएं दर्शाई गई हो ।

5.4 सीपीडब्ल्यूडी अथवा राज्य पीडब्ल्यूडी की दरों के आधार पर वर्कशेडस एवं रास्तों आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं बनाने के लिये आनेवाले खर्च का अनुमान लगाया जाए ।

1.5. चूँकि योजना का उद्देश्य एक क्लस्टर के रूप में वर्कशेड की संस्थापना सुकर बनाना है जिसके द्वारा साधारण कार्य जैसे कच्चे माल की खरीद, सामान्य सुविधाएं प्राप्त करने आदि में पैसे की बचत करने में मदद होगी । अतः आशा की जा रही है कि वर्कशेड काफी संख्या में बनेंगे, जो एक क्लस्टर के रूप में उभारकर आएंगे ।

1.6. चूँकि यह समूह वर्कशेड योजना है, जहाँ वर्कशेड काफी अधिक संख्या में बनेंगे आवश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे रास्ते, पानी की आपूर्ति, बिजली, ड्रेनेज आदि के विकास की जिम्मेदारी का अ को लेनी होगी । भारत सरकार की टेक्सटाइल सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (टीसीआईडीएस) के अंतर्गत टेक्सटाइल क्लस्टर में सामान्य आधारभूत सुविधाओं को विकास के लिये काअ को सहायमता उपलब्ध हो सकती है । उसी तरह लाभार्थियों को आधुनिक करघे खरीदने के लिये प्रौउनियों के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से भी वित्तीय सहायता मिल सकती है । ऐसा मिला-जुला प्रयास आवश्यक संयोजनों के साथ आधुनिक बुनाई क्लस्टर के विकास में सहायक होगा । अतः परियोजना रिपोर्ट में केवल वर्कशेड्स का ही नहीं, बल्कि आधारभूत सुविधाओं का भी उल्लेख होना आवश्यक है ।

1.7. लाभार्थी वर्कशेड में लगाने में लगाने के लिये करघे एवं प्रिपरेटरी मशीनों की खरीद हेतु नये निवेश करने की संभावना है । यद्यपि, लाभार्थी (अर्ध-स्वचालित तथा उससे उपर की प्रौद्योगिकी स्तर के) विद्यमान करघे एवं प्रिपरेटरी मशीनें वर्तमान जगह से प्रस्तावित वर्कशेड में स्थानांतरित कर सकता है ।

1.8. ऐसा भी हो सकता है कि एक लाभार्थी को पूरे वर्कशेड की जरूरत न हो । ऐसे मामले में एक से ज्यादा लाभार्थी एक शेड बाँटकर ले सकते हैं ।

1.9. अब तक लघु उद्योग विभाग, भारत सरकार की इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत विकसित स्थानीय क्लस्टर में अप्रयुक्त शेड्स उपलब्ध होने की स्थिति में यदि उचित लगे तो नये शेड बनाने के स्थान पर काअ उन्हें प्राप्त कर सकता है । तथापि ऐसे शेड सभी आवश्यक संयोजनों/आधारभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक बुनाई क्लस्टर के विकास की सारी शर्तों को पूरा करते हो ।

1.10. भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये योजना के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन एवं योजना की सहभागिता में काअ एवं प्रयोक्ता हिताधिकारी दोनों की वचनबद्धता प्रथमतः आवश्यक है । इस वचनबद्धता के बारे

में सरकार को संतोष दिलाने के लिये काअ/प्रयोक्ता हिताधिकारियों द्वारा निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है

- सरकार को परियोजना रिपोर्ट जमा करने से पहले काअ के कब्जे में ज़मीन होना आवश्यक है । यदि काअ के कब्जे में वास्तव में ज़मीन नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा जारी आबंटन पत्र अथवा आवश्यक जगह की खरीदी/बिक्री के लिये सैद्धांतिक रूप से करार की प्रति पर्याप्त होगी ।
- काअ को सरकार को यह संतोष दिलाना होगा सभी प्रतिभागी लाभार्थियों को परियोजना की प्रयोक्ता शुल्कों तथा ऋण की चुकौती की अवधि संबंधी एवं काअ की भूमिका तथा उसके सामुहिक रूप से उत्तरदायित्व के बारे में पूरी जानकारी है ।
- प्रत्येक प्रतिभागी लाभार्थी को इस आशय का लिखित शपथपत्र देना होगा कि प्रस्तावित वर्कशेड जिसके लिये योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है, केवल करघे तथा करघों से अधिक प्रौद्योगिकी की प्रिपरेटरी मशीनें लगाने के लिये प्रयोग की जाएगी और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं की जाएगी । ऐसे शपथपत्रों के आधार पर काअ की जिम्मेदारी होगी कि योजना के अंतर्गत विनिर्मित वर्कशेड का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जाएगा, जिसके लिये वे मंजूर किये गये हैं ।

1.11 काअ प्रतिभागी लाभार्थियों को शेड्स की पूर्णतया: बिक्री करेगा अथवा उसे पट्टे पर या किराये पर देगा । परियोजना प्रस्ताव में ऐसे आबंटन के लिये प्रस्तावित तरीका तथा पूर्ण बिक्री मूल्य की राशि अथवा प्रति स्क्वे.फीट किराये का उल्लेख होना चाहिए ।

1.12 उपरोक्त प्राथमिक कार्य होने के बाद काअ परियोजना रिपोर्ट वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को देगा । यदि परियोजना टीसीआईडीएस के अंतर्गत घटक है और यदि परियोजना के लिये जगह राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली है, तो समग्र परियोजना रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को जमा की जाएगी । योजना के मार्गदर्शक तत्वों से प्रस्ताव की एकरूपता की दृष्टि से इस प्रस्ताव की विस्तार से संवीक्षा करेंगे । यदि कुछ कमियाँ पाई गई तो का अ को तद्नुसार प्रस्ताव को संशोधित करने की सलाह दी जाएगी । वस्त्र आयुक्त द्वारा संशोधित प्रस्ताव अतिरिक्त जाँच के बाद परियोजना मूल्यांकन तथा अनुमोदन समिति के समक्ष रखी जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सचिव (वस्त्र), भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा वस्त्र आयुक्त सचिव के रूप में होते हैं । सदस्यों में संयुक्त सचिव (पावरलूम) शामिल होंगे एवं टीसीआईडीएस समिति से समानता रहेगी ।

1.13 यदि समिति द्वारा परियोजना अनुमोदित होती है तो तद्नुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा काअ को सूचित किया जाएगा । अनुमोदन प्राप्त होने के बाद काअ विनिर्माण कार्य आरंभ करेगा ।

1.14 सबसिडी अंत में दी जाएगी । काअ द्वारा वस्त्र आयुक्त को सबसिडी प्रदान करने के लिये दावा प्रस्तुत करने से पहले वर्कशेड का विनिर्माण पूरा होने के अतिरिक्त संबंधित करघे/प्रिपरेटरी मशीनें संबंधित वर्कशेड में लगाये जाने चाहिए ।

1.15 यह अपेक्षित है कि सबसिडी प्राप्त करने वाली विद्युत करघा इकाई सबसिडी प्रदान करने की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक कार्यरत होना चाहिये ।

1.16 यदि यह पाया गया कि सरकार से सबसिडी गलत जाकारी के आधार पर प्राप्त की गई है, विद्युत करघा इकाई या काअ प्राप्त सबसिडी, वितरण की तिथि से चुकानी के दिन तक सरकारी नियमानुसार प्रभारित ब्याज सहित लौटाने के लिये बाध्य होगा ।

1.17 यह अपेक्षित है कि अनुमोदित ढांचे के अनुसार योजना कार्यान्वित होगी । तथापि अनुमोदन के बाद, योजना के कार्यान्वयन के समय, यदि कोई परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन परियोजना मूल्यांकन तथा अनुमोदन समिति के पुर्वानुमोदन से ही किये जा सकते हैं ।

1.18 यदि वर्कशेड का विनिर्माण निकृष्ट प्रति का है और उसमें करघे/मशीनें नहीं लगाई गई हो तो सबसिडी की राशि रोक दी जाएगी अथवा समिति के अनुमोदन से कम की जाएगी ।

1.19 वर्कशेड के विनिर्माण कार्य का समापन; आधारभूत सुविधाएं एवं करघे लगाना तथा लॉक-इन अवधि तक इकाई के कार्यरत रहने की वास्तविक जांच स्थानीय समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधित राज्य सरकार अभिकरण, उद्योग संघ तथा अन्य तकनीकी संगठन जैसे वस्त्र अनुसंधान संघ/वस्त्र समिति शामिल है । वस्त्र आयुक्त प्रत्येक समूह वर्कशेड योजना के लिये अलग-अलग स्थानीय समितियां गठित करेंगे । वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी इस स्थानीय समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा । समिति के कार्यो में; विनिर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण, बुनाई के उद्देश्य के लिए उपयोग में लायी गई जगह के सत्यापन के पश्चात सबसिडी जारी करने हेतु वास्तविक जांच एवं प्रमाणन तथा अन्य आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता देना शामिल है ।

1.20 वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय परियोजना के संकल्पन, तैयारी एवं उसे वस्त्र आयुक्त को जमा करने में काअ/प्रस्तावित काअ को सहायता करेगा । विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा उद्योग को योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ उठाना अधिक सुग्राही बनाने के लिये भी वे प्रभावी कदम उठाएंगे ।

1.21 काअ द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें परियोजना के प्रत्येक घटक के कार्य की प्रगति दर्शाई जाएगी । इन रिपोर्टो तथा स्थनीय समितियों से प्राप्त सूचना के आधर पर समेकित तिमाही रिपोर्ट वस्त्र आयुक्त द्वारा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को जमा की जाएगी ।

लाभार्थियों का ब्यौरा

क्रम सं.	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी की श्रेणी	अन्य स्थानों से स्थानांतरित किये जाने वाले करघों की संख्या				खरीदे जानेवाले करघों की संख्या				खरी जाने करघ अनुम लाग (रू.ल
			अर्ध स्वचालित	स्वचालित	शटल लेस	कुल	अर्ध स्वचालित	स्वचालित	शटल लेस	कुल	

टिप्पणी 1. प्रिपेरेटरी मशीनें, यदि कोई हो, लगाने वाले लाभार्थी का विवरण कृपया उपरोक्त सारणी के नीचे दें ।

2.* कृपया सूचित करें कि लाभार्थी विद्युत करघा बुनकर है या कुशल बुनकर अथवा बुनाई उद्योजक ।

3.** यदि एक से ज्यादा लाभार्थी एक शेड बाँट रहे हैं, उनके नाम क्रम से लिखें तथा उनके समक्ष एक शेड दर्शाये ।

परिशिष्ट-2

परियोजना लागत तथा वित्तीय सहायता का ब्यौरा

अनु. क्र.	मद	घटक/ लागत	* वित्तीय सहायता (रू. लाख)			कुल
			स्वयं का अंशदान	सरकार की सबसिडी	वित्तीय संस्थानों से ऋण	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**भूमि**					
	क. कुल क्षेत्र एकड़ में		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ख. प्रति एकड़ लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ग. कुल लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
2.	**वर्कशेड**					
	क. शेड की कुल संख्या		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ख. कुल क्षेत्र (स्क्वे.फीट)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ग. प्रति स्क्वेअर विनिर्माण की लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	घ. कुल लागत					
3.	**आधारभूत सुविधाएं**					
	क. अंदर के रास्ते		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• स्क्वे.मीटर में रास्ते का क्षेत्र		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• प्रति स्क्वे.मी. लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• कुल लागत					
	ख. बिजली आपूर्ति					
	• एम.डब्ल्यू. में लोड		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• *** पूंजी लागत					
	ग. पानी की आपूर्ति					
	• कि.लि. में मात्रा		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• # कुल लागत					
	घ. ड्रेनेज					
	• लंबाई मीटर में		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

			नहीं	नहीं	नहीं	
	• प्रति रनिंग मीटर लागत		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	• कुल लागत					
	च. अन्य (कृपया उल्लेख करें)					
	•					
	•					
	•					
	•					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	छ. कुल आधारभूत सुविधाओं की लागत (क+ख+ग+च)					
4.	**करघे तथा प्रिपरेटरी मशीनें**					
	क. वर्तमान जगह से स्थानांतरित होनेवाले करघों की संख्या		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ख. खरीदे जाने वाले करघे		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ग. करघों की कुल संख्या		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	घ. उपरोक्त (ख) पर उल्लिखित करघों का कुल मूल्य					
	च. ** प्रिपरेटरी मशीनें		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	छ. मशीनों की संख्या		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ज. कुल मूल्य					
	झ. मशीनों का कुल मूल्य (घ + ज)					
5.	**कुल जोड़ (1+2+3+4)**					

टिप्पणी

6. **सरकार से मिलनेवाली सबसिडी का विवरण जहां लागू है वहां करना है जैसे वर्कशेड्स, मशीनें तथा आधारभूत सुविधाएं**
7. *** कृपया प्रत्येक घटक के जोड़ के समक्ष उल्लेख करें ।**
8. **** कृपया प्रिपरेटरी मशीनों के प्रकार का उल्लेख करें ।**
9. ***** केवल पूंजी लागत का समावेश किया जाए : ट्रान्सफॉर्मर, डिस्ट्रीब्युशन लाइन्स, जनरेशन कॉस्ट (यदि लागू हो) । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लौटाये जाने योग्य डिपॉजिट का समावेश नहीं किया जाए ।**
10. **# केवल पूंजि लागत जैसे बोर वेल, ओवर हेड टैंक तथा डिस्ट्रिब्यूशन लाइन्स ली जाएं ।**

परिशिष्ट-3

रखरखाव तथा ऋण की चुकौती के लिये लाभार्थियों द्वारा अपेक्षित वार्षिक अंशदान का ब्यौरा ।

अनु. क्र.	**घटक**	**राशि (रू. मे)**				
1.	रखरखाव की लागत का विवरण/वर्ष					
	क. वर्कशेडस					
	ख. आधारभूत सुविधाएं					
	* बिजली की आपूर्ति					
	* पानी की आपूर्ति					
	* रास्ते तथा ड्रेनेज का रखरखाव					
	ग. वॉच तथा वॉर्ड					
	घ. कुल लागत					
	च. वर्कशेडस का कुल क्षेत्र					
	घ. रखरखाव लागत/प्रति वर्ष वर्कशेड का स्क्वे.फिट					
2.	ऋण चुकौती					
		वर्ष 1	**वर्ष 2**	**वर्ष 3**	**वर्ष 4**	**वर्ष 5**
	* क. कुल ऋण					
	ख. ब्याज सहित वार्षिक चुकौती					
	ग. लाभार्थी द्वारा वर्कशेड क्षेत्र प्रति स्क्वे.फिट किया जाने वाला वार्षिक भुगतान वर्ष वार					

- **यह वर्कशेड के विनिर्माण एवं सामान्य आधारभूत सुविधाओं यदि कोई हो के विकास के लिए काअ द्वारा उधार ली गई ऋण की राशि है**